

प्रेषक,

रोहित नन्दन,  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,  
लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, गैन्पुरी, मथुरा, हाथरस, संतरविदास नगर(भदोही),  
वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, फैजाबाद, कानपुर नगर, औरैया,  
इटावा, कन्नौज, इलाहाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, दादर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, सहारन  
मुजफ्फर नगर, मुरादाबाद, बिजनौर, जयंतिकाकुले नगर तथा रामपुर।

लखनऊ: दिनांक: 01/अप्रैल, 2008

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत तृतीय चरण के जनपदों के संबंध  
आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना पूरे देश में भारत सरकार द्वारा दिनांक: 01/अप्रैल,  
से लागू करते हुए तृतीय चरण में प्रदेश के 31 जनपदों में उक्त योजना का क्रियान्वयन किया  
है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना  
क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के जनपदों के लिए निर्गत किये गये  
शासनादेश/निर्देश तृतीय चरण के जनपदों पर यथावत लागू किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रोहित नन्दन)  
प्रमुख सचिव

संख्या- 325 (1)/38-7-2008- तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- सम्वन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- गार्ड बुक।

आज्ञा

(शिव शंकर)  
विशेष सचिव